मिथिला इतिहास संस्थान

इतिहास विभाग, ल॰ना॰मिथिला विश्वविद्यालय
कामेश्वरनगर, दरभंगा–846008

संविधान (नियमावली)

अनुच्छेद–1. ***संस्था का नाम :*** संस्था का नाम 'मिथिला इतिहास संस्थान' होगा, जो अंग्रेजी में भी Mithila Itihas Sansthan के नाम से ही जाना जायेगा।
संविधान में आगे संस्था के नाम के स्थान पर 'संस्थान' शब्द प्रयुक्त किया जाएगा अर्थात् संस्थान से अभिप्रेत होगा मिथिला इतिहास संस्थान।

अनुच्छेद–2. ***प्रतीक चिह्न :*** कलम की नींव के ऊपर मिथिला इतिहास संस्थान लिखित एवं खागोलीय यंत्रा अंकित किया हुआ निम्न प्रकार का होगा–

अनुच्छेद–3. ***स्थायी कार्यालय :*** संस्थान के स्थायी कार्यालय का पता –
इतिहास विभाग,
ल॰ना॰ मिथिला विश्वविद्यालय
कामेश्वरनगर, दरभंगा–846008

अनुच्छेद–4. ***उद्देश्य :*** प्रगतिशील वैज्ञानिक इतिहास अध्ययन का उन्नयन, इतिहास के जन–सरोकारों का संस्थापन, इतिहास चेतना का उन्मेषण और मिथिला क्षेत्रीय इतिहास का प्रवर्त्तन संस्थान का महत उद्देश्य होगा।

अनुच्छेद–5. ***कार्यक्रमः*** उपर्युक्त उद्देश्य को पूरा करने के लिये संस्थान निम्नलिखित कार्यक्रमों को अपनाएगा–

क. नियमित रूप से इतिहासकारों के द्विवार्षिक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन
ख. शोध–परियोजनाओं का संचालन
ग. सेमिनारों, संगोष्ठियों, परिचर्चाओं, व्याख्यानमालाओं, कार्यशालाओं, प्रशिक्षण शिविरों आदि का नियमित आयोजन।
घ. इतिहास चेतना विकसित करने के लिए जन–अभियानों, सभाओं आदि का संयोजन
ङ. मौलिक एवं खोजपरक के साथ–साथ लोकप्रिय किन्तु प्रगतिशील इतिहास ग्रन्थों, संकलनों, सामयिकी, स्मारिका, शोध–पत्रिाका, कार्यवाही आदि का प्रकाशन
च. इतिहास एवं पुरातत्त्व के क्षेत्रा में सर्वेक्षण, अनुसंधान, उत्खनन, संरक्षण आदि कार्यों का सम्पादन
छ. भारत एवं खासकर मिथिला के इतिहास एवं संस्कृति के संरक्षण, समान्वेषण एवं सम्बर्द्धन के लिये सभी उपयुक्त उपायों का अवलम्बन

ज. वैज्ञानिक एवं प्रगतिशील इतिहास अध्ययन एवं लेखन को हर संभव तरीके से प्रोत्साहन

झ. इतिहास अध्ययन से जुड़े अन्य संस्थानों, संगठनों, विश्वविद्यालयों, शोध परिषदों आदि के साथ मिलकर उपर्युक्त सभी प्रकार के कार्यक्रमों का संचालन

अनुच्छेद–6 ***सदस्यता :***

इतिहास अध्ययन में गहरी अभिरूचि रखने वाले स्नातक इतिहास प्रतिष्ठा अथवा किसी भी अनुशासन में स्नातकोत्तर की उपाधि धारण करने वाला कोई भी वयस्क स्त्री–पुरुष संस्थान का सदस्य बन सकता है। सदस्यता की अवधि दो वर्ष अथवा आजीवन हो सकती है। सदस्यता शुल्क निम्न प्रकार से होगा, जिसमें समय–समय पर आम सभा द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है–

द्विवार्षिक : सामान्य – 160.00 रु॰ /150.00 रू0 (नवीकरण)
छात्रा – 110.00 रु॰ / 100.00 रू0 (नवीकरण)

आजीवन : 1000.00रु॰

अनुच्छेद–8 ***सम्मेलन (आम सभा) :***

संस्थान के सदस्यों का प्रत्येक दो वर्ष के अन्तराल पर राष्ट्रीय सम्मेलन होगा, जिसमें वे बतौर प्रतिनिधि शामिल होंगे। सम्मेलन की तिथि एवं स्थल का निर्धारण संस्थान की कार्यकारिणी समिति करेगी और कम से कम 45 दिनों की पूर्व सूचना पर सम्मेलन का आयोजन किया जायेगा, किन्तु दो सम्मेलनों के बीच तीस महीने से ज्यादा का अन्तराल नहीं होगा। सम्मेलन में सदस्यों द्वारा शोध–पत्रा प्रस्तुत किये जाने और संगोष्ठी एवं शोध परक व्याख्यान के अतिरिक्त निम्नलिखित सांगठनिक कार्य भी सम्पादित होंगे–

क. सम्मेलन में सदस्यों की एक आम–सभा होगी

ख. आम–सभा के प्रथम चरण में निवर्त्तमान कार्यकारिणी परिषद् (सचिव) के प्रतिवेदन और कोषाध्यक्ष द्वारा प्रस्तुत अंकेक्षित आय–व्यय के ब्यौरों पर विचार एवं सम्पुष्टि का कार्य होगा।

ग. आम–सभा के दूसरे चरण में अगले सत्रा के लिये संस्थान के निर्वाचित पदाधिकारियों एवं कार्यकारिणी समिति के सदस्यों के नाम की घोषणा की जायेगी।

घ. आम–सभा के तीसरे चरण में संस्थान की भावी कार्य योजना, बजट, आवश्यक नीति–निर्धारण एवं दिशा निर्देश सम्बन्धी विमर्श के अतिरिक्त संस्थान के उद्देश्य के अनुरूप भारत एवं मिथिला के इतिहास एवं संस्कृति के हित में प्रस्ताव पारित किए जायेंगे।

ङ. सभा के अन्तिम चरण में संविधान में अपेक्षित संशोधन/परिवर्त्तन, नियम/ परिनियम का प्रवर्त्तन अथवा अनुशासनात्मक कार्रवाई (यदि कोई हो) का सम्पादन होगा।

च. आम–सभा संस्थान के हित में औचित्य एवं आवश्यकता के अनुरूप सभी प्रकार का निर्णय लेगी।

अनुच्छेद–8 ***कार्यकारिणी समिति:***

संस्थान की कार्यकारिणी समिति में निम्नलिखित पदाधिकारी एवं सदस्य होंगे–

क. अध्यक्ष : 1

ख. प्रभागीय अध्यक्ष : 4

ग. उपाध्यक्ष : अधिकतम– 4

घ. सचिव : 1

ङ. संयुक्त सचिव : अधिकतम – 4

च. कोषाध्यक्ष : 1

छ. सदस्य : अधिकतम–21

अनुच्छेद–9 ***कार्यकारिणी समिति का चुनाव एवं गठन :***

कार्यकारिणी समिति के पदाधिकारियों का निर्वाचन जहाँ निवर्त्तमान कार्यकारिणी समिति द्वारा सम्मेलन (आम–सभा) के दौरान किया जाएगा, वहीं सदस्यों का निर्वाचन सम्मेलन में भाग ले रहे प्रतिनिधियों द्वारा बहुमत के आधार पर किया जाएगा। निर्वाचित पदाधिकारियों एवं सदस्यों की कार्यावधि दो वर्षों की होगी।

अनुच्छेद–10 ***कार्यकारिणी समिति की बैठक एवं गणपूर्त्ति:***

कार्यकारिणी समिति की बैठक अनिवार्यतः वर्ष में एक बार होगी और दो कार्यकारिणी समिति की बैठकों के बीच अठारह महीने से अधिक का अन्तराल नहीं होगा। कार्यकारिणी समिति की बैठक के लिये कम से कम पन्द्रह दिनों की पूर्व सूचना आवश्यक होगी, किन्तु विशेष परिस्थिति में सात दिनों की पूर्व सूचना पर आपातकालीन बैठक आहूत की जा सकेगी। कार्यकारिणी समिति की गणपूर्ति के लिये कम से कम एक तिहाई सदस्यों की बैठक में उपस्थिति आवश्यक होगी।

अनुच्छेद–11 ***कार्यकारिणी समिति के अधिकार एवं कार्य:***

कार्यकारिणी समिति प्रत्येक दो वर्ष के अन्तराल पर संस्थान के पदाधिकारियों का चुनाव करेगी, प्रभागीय अध्यक्षों का चयन करेगी, वार्षिक बजट बनाएगी, अंकेक्षित आय–व्यय को सम्पुष्ट करेगी, संस्थान के लिये नीतिगत फैसला लेगी और सामान्य कार्यों के सम्पादन के लिये दिशा निर्देश देगी।

अनुच्छेद–12 ***पदाधिकारियों के अधिकार एवं कार्य :***

12.क. अध्यक्ष–कार्यकारिणी परिषद् की बैठकों एवं सम्मेलन की अध्यक्षता अध्यक्ष करेगा।

12.ख. प्रभागीय अध्यक्ष–संस्थान के सम्मेलन के व्यवस्थित संचालन के लिये चार प्रभाग होंगे–

(प) प्राचीन मिथिला (पप) मध्यकालीन मिथिला (पपप) आधुनिक मिथिला और

(पअ) मिथिलेतर इतिहास, जिनके सत्रों का संचालन प्रभागीय अध्यक्ष करेंगे और प्रस्तुत शोध आलेखों की कार्यवाही में प्रकाशनार्थ संस्तुति करेंगे। अध्यक्षों का मनोनयन कार्यकारिणी परिषद् करेगी।

12.ग. उपाध्यक्ष–संस्थान के अधिकतम चार उपाध्यक्ष होंगे, जो वरीयता के आधार पर अध्यक्ष की अनुपस्थिति में कार्यकारिणी समिति अथवा सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे।

12.घ. सचिव–सचिव संस्थान का कार्यकारी प्रमुख होगा, जो कार्यकारिणी समिति की बैठक और सम्मेलन आहूत करेगा और उसका संचालन करेगा। सचिव संस्थान के सभी प्रकार के दस्तावेज तथा परिसम्पत्ति की देखरेख करेगा, कार्यकारिणी समिति के फैसलों को क्रियान्वित करेगा, सामान्य कार्यों का सम्पादन करेगा और कोषाध्यक्ष के साथ मिलकर संस्थान के कोष का संचालन करेगा।

12.ङ. संयुक्त सचिव–संस्थान में अधिकतम चार संयुक्त सचिव होंगे, जो कार्यकारिणी समिति के निदेशानुसार सचिव के कार्यों में सहयोग करेंगे। संस्थान का स्थायी कार्यालय इतिहास विभाग, ल॰ना॰मिथिला विश्वविद्यालय में होने के कारण, यदि संस्थान का सचिव इस विभाग का शिक्षक न हो तो एक संयुक्त सचिव इस विभाग का कोई एक शिक्षक होगा, ताकि स्थायी कार्यालय की देख–रेख की जा सके।

12.छ. कोषाध्यक्ष–कोषाध्यक्ष संस्थान के आय–व्यय का विवरण रखेगा, वार्षिक अंकेक्षण करायगा और सचिव के साथ मिलकर संस्थान के कोष का संचालन करेगा।

अनुच्छेद–13 कोषः–संस्था का एक कोष होगा, जिसका संचालन संयुक्त रूप से सचिव एवं कोषाध्यक्ष करेगा। संस्थान के आय का मुख्य स्रोत सदस्यता शुल्क होगा, जबकि कार्यक्रमों, परियोजनाओं, प्रकाशन कार्यों, सेमिनारों तथा सम्मेलनों के आयोजन के लिये अनुदान एवं आर्थिक सहयोग का सहारा लिया जायगा। इसके अतिरिक्त संस्थान के प्रकाशन कार्यों को भी आय का एक जरिया बनाया जाएगा।

अनुच्छेद–14 ***अंकेक्षण***

संस्थान के आय–व्यय का किसी मान्यताप्राप्त अंकेक्षक से अनिवार्यताः वार्षिक अंकेक्षण कराया जायगा, जिसकी सम्पुष्टि कार्यकारिणी समिति और सम्मेलन के द्वारा किया जाना जरूरी होगा। सरकार द्वारा मांग किए जाने पर संस्थान किसी भी समय अंकेक्षण करवाने के लिए तत्पर रहेगा।

अनुच्छेद–15 ***संविधान संशोधन***

संस्थान के संविधान में किसी भी प्रकार का संशोधन–परिवर्तन दो तिहाई बहुमत से किया जा सकेगा।

अनुच्छेद–16 ***विसर्जन***

विशेष परिस्थिति में अन्य कोई विकल्प नहीं रहने पर संस्थान का विसर्जन होने की स्थिति में संस्थान की परिसम्पत्ति इतिहास विभाग, ल0ना0मिथिला विश्वविद्यालय को स्वतः समर्पित हो जायेगी।

,,,,,